हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक:

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला—171009, दिनांक 18 मई, 2013

विषय:— न्यायालय व पुलिस द्वारा चलान पेश करने हेतु पंचायत का मूल रिकार्ड देने बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14 फरवरी, 2013 जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के मूल रिकार्ड को पुलिस को जांच हेतु देने बारे मार्ग—दर्शन प्रदान किया गया था, के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायतों के मूल रिकार्ड को जांच हेतु पुलिस को प्रदान करने बारे विधि विभाग से परामर्श मांगा गया था जो निम्न प्रकार से है:—

> "Keeping in view the public interest and the practical difficulties, the attested photocopies of the record in question can be handed over to the Police for investigation purpose and the original record can be produced before the Ld. Court as and when required. There is no legal compulsion to provide original record to the Police until and unless, the same is required to be sent to the F.S.L. for investigation."

उपरोक्त परामर्श अनुसार आप समस्त ग्राम पंचायतों को उचित निर्देश जारी करें कि ग्राम पंचायतों का मूल रिकार्ड पुलिस को जांच हेतु देना आवश्यक नहीं है, केवल सम्बन्धित रिकार्ड की

Scanned by CamScanner

छायाप्रतियां पुलिस को उपलब्ध करवाई जाए, परन्तु यदि मामला F.S.L. जांच से सम्बन्धित है तो उस दशा में मूल रिकार्ड को प्रदान किया जाए अन्यथा माननीय न्यायालय में साक्ष्य के समय प्रस्तुत किया जाये।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

पृष्ठांकन संख्या:– 5004 18-5-2013

प्रतिलिपि:–

1. लै0 कर्नल दौलत सिंह चौहान (सेवानिवृत), वर्धमान हाउस, नैनीधार, डा0 कमला नगर (भट्टाकुफर) वाया सन्जौली, शिमला–6 को उनके आवेदन पत्र दिनांक 22.6.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

Scanned by CamScanner